संख्या:04/2016/04जेएल/22-3-16-67/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 06 जनवरी, 2016***

विषय- प्रदेश की कारागारों के आकस्मिक निरीक्षण के समय संज्ञान लिये जाने वाले बिन्दुओं के सम्बन्ध में।

महोदय,

कारागारों की सुरक्षा एवं निषिद्ध वस्तुओं का उपयोग रोकने के दृष्टिगत शासन द्वारा समय-समय पर कारागारों के संयुक्त आकस्मिक निरीक्षण के निर्देश दिये जाते है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित चेक प्वाइंट के अनुसार कारागारों का आकस्मिक गहन निरीक्षण आपके द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है :-

(1) सभी बंदियों की सघन तलाशी।

(2) बैरकों एवं कमानों की सघन चेकिंग।

(3) कारागार में मुख्य द्वार पर सघन तलाशी। बंदियों के कार्य स्थल का सघन निरीक्षण।

(4) कारागार के प्रत्येक भाग तथा मुख्य प्राचीर, सर्किलवाल, बैरक, पाकशाला, कारागार चिकित्सालय एवं कर्मशाला, रात्रि शौचालय आदि का निरीक्षण।

(5) कारागारों में बंदियों की खाने की गुणवत्ता का विशेष निरीक्षण।

(6) पलायन में सहायक अनधिकृत वस्तुओं जैसे-सीढ़ी, रस्ती, सरियॉ, भवन निर्माण सामग्री का सुरक्षित स्थानों पर भण्डारण।

(7) बंदियों द्वारा जेल में किसी तरह की विशेष सुविधा का उपयोग नहीं किया जाना।

2- शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय बंदियों द्वारा बिना पर्याप्त आधार के अनावश्यक रूप से अस्पतालों में भर्ती होकर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है, यह अनुचित एवं नियम विरूद्ध है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रवृत्ति को रोकने के लिए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब भी प्रदेश की कारागारों का आप द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाय तो यह भी देख लिया जाय कि कोई बंदी पर्याप्त आधार के बिना अनावश्यक रूप से अस्पताल में भर्ती तो नहीं है। उचित होगा कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कारागार अधीक्षकों से एक प्रमाण-पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या:04/2016/04जेएल(1)/22-3-16-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- समस्त उप महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0।

3- समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, कारागार, उ0प्र0।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस0के0 रघुवंशी
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in